

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT DEHRADUN. (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act. (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Dehradun district constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Chandresh Kumar I.A.S. deputy commissioner Dehradun on date 15.12.2014 at time 4.00 p.m. at Dehradun in which application claiming rights in Rajeev Gandhi International Cricket Stadium four lane motor road area measuring 1.92 hect. For the construction of in Rajeev Gandhi International Cricket Stadium four lane motor road (800 Mtr.) of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Raipur sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommended the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Dehradun.

Dated – 15.12.2014

Deputy Commissioner-cum-chairman
District Level Committee

जिलाधिकारी, देहरादून

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
कायदेश

अधिशाली अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
कायदेश

FORM-I
For linear Projects
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Dehradun

No. 647/D.M. DehradunDated 23/12/2014

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) Government of India's Letter No 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 Where in the MoEF Issued guidelines on submission of evidences for having Initiated and Completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the the forest land proposed to be diverted for non&forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects, it is certified that 1.92 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Temp. Division P.W.D. Rishikesh (Name of User agency) for Constuction of Rajeev Gandhi international circket Stadium into four lane Road (purpose for diversion of forest land) in Dehradun district falls within jurisdiction of Sodasaroli, Raipur village(s) in Dehradun tehsils.

It is further certified that.

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.92 hectares of forest area proposed for diveirsion. A copy of records of all Consultation and meeting of the forest Rights Committee(s) Gram Sabha (s), sub-division level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 annexure 2.
- the diversion of forest Land for facilities managed by the Government as required under section 3,(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- the proposal does not involle recognised right of primitive Tribal Groups and pre- agricultural communities.

Encl:- As above

सहायक अधीक्षक
अस्थाई खण्ड ले०नि०वि०
अधिसूचना

अधिसूचना
अस्थाई खण्ड ले०नि०वि०
अधिसूचना

Signature (चिन्देश कुमार)
(Full name and official seal of the District collector)
District Magistrate
Dehradun.

कार्यालय उप जिलाधिकारी, देहरादून
अनुसूचित जनजाति और वन्य परम्परागत वन निवासी
उपखण्ड स्तरीय समिति, रायपुर, देहरादून

उपखण्ड रायपुर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड रायपुर में राजीवगांधी अन्तर्गाराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हेतु चार लेन पहुँच मार्ग निर्माण हेतु (1.92 है० आरक्षित वन भूमि, - है० सिविल/समाज भूमि, - है० नाप भूमि) वनभूमि का अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० ऋषिकेश के पक्ष में हस्तांतरण हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देहरादून), रायपुर की बैठक दिनांक 19.07.2014 का कार्यवाही विवरण:-


अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री मोहन सिंह बर्निया, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | |
|----|---|---------|
| 1- | श्री मोहन सिंह बर्निया, उपजिलाधिकारी, देहरादून- | अध्यक्ष |
| 2- | श्री देवी प्रसाद बलोनी, उप प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी-सदस्य | |
| 3- | श्री बी०डी० राणा, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, रायपुर-सदस्य/सचिव | |
| 4- | श्री ...बी०डी०सी० क्षेत्र - | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून के विकासखण्ड रायपुर में राजीवगांधी अन्तर्गाराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हेतु चार लेन पहुँच मार्ग निर्माण हेतु (1.92 है० आरक्षित वन भूमि, - है० सिविल/समाज भूमि, - है० नाप भूमि) वनभूमि का अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० ऋषिकेश के पक्ष में हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर भूमि जनपद देहरादून के विकासखण्ड रायपुर में राजीवगांधी अन्तर्गाराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हेतु चार लेन पहुँच मार्ग/सार्वजनिक उपयोग हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड रायपुर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड रायपुर में राजीवगांधी अन्तर्गाराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हेतु चार लेन पहुँच मार्ग निर्माण हेतु (1.92 है० आरक्षित वन भूमि, - है० सिविल/समाज भूमि, - है० नाप भूमि) वनभूमि का अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० ऋषिकेश देहरादून को जनहित में व्यपवर्तन की सहमति प्रदान की गयी।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-देहरादून, उपखण्ड रायपुर,
देहरादून

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-देहरादून, उपखण्ड रायपुर,
देहरादून

उपखण्ड स्तरीय बैठक दिनांक 19.7.14

क्रमांक	उपस्थित सदस्यों के नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	मोहन सिंह वर्मा	उपनिर्देशकारी सचिव	
2	डी.पी. बलोत्री	उप प्रभाषी वनाधिकारी मखुवी वन प्रभाग	
3	बी.डी. (ग)	ए०ए०ओ०	
4	धीरेन्द्र सिंह राणा	सदस्य क्षेत्र पंचायत	सदस्य क्षेत्र पंचायत ग्राम पंचायत क्षेत्र विकास खण्ड रायपुर, देहरादून

कार्यालय
ग्राम पंचायत सौडा सरोली
तहसील-देहरादून, जिला-देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला देहरादून, उत्तराखण्ड में अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु (1.92 है० आरक्षित वन भूमि, - है० सिविल/समाज भूमि, - है० नाप भूमि) वन भूमि का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश के पक्ष में हस्तांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सौडा सरोली द्वारा ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गई कि फारेस्ट राईट एक्ट (एफ० आर० ए०) 2006 के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम सौडा सरोली के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश को दिये जाने पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।


ग्राम सभा की सिफारिश पर फारेस्ट राईट एक्ट (एफ० आर० ए०) 2006 के अन्तर्गत विभाग द्वारा (1.92 है० आरक्षित वन भूमि, - है० सिविल/समाज भूमि, - है० नाप भूमि) वनभूमि अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश को विकासखण्ड रायपुर में राजीवगॉंधी अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हेतु चार लेन पहुँच मार्ग के नवनिर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।


प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव

ब्रह्मदेव,

उक्त मार्ग निर्माण वन विभाग
की शर्त पर किया जाना पता चला
है। जिस पर ग्राम सभा का कोई
आपत्ति नहीं है।


ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सौडा सरोली
रामपुर दे.डून



ग्राम पंचायत स्थल सौडा सरौली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	Rajesh Maithani	Rajesh
2.	Ganesh Rawat	Ganesh
3.	Abhinav Naithani	Abhinav
4.	पूरण सिंह	पूरण सिंह
5-	पुंरेश कुल्हान	पुंरेश
6-	विनोद कुल्हान	विनोद
7-	भीम सिंह थापा	Bhim Singh
8-	अशोक गुप्ता	Ashok
9-	राजेन्द्र सिंह	Rajendra
10	अश्वनि कुमार खन्ना	Ashwani
11	मंगल सिंह	मंगल सिंह
12	Kamal Kishor	Kamal
13	आनन्द भास्कर	आनन्द
14.	Rupesh Kulhan	Rupesh
15.	दीपक	दीपक
16.	हुक्म सिंह	हुक्म सिंह
17.	दिनेश कुल्हान	दिनेश
18.	प्राण सिंह रावत	प्राण
19.	बलवीर सिंह बिठर	बलवीर
20.	सुमन नौटियाल	सुमन

भाग-III

(संबंधी वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है ।)

कार्य का नाम—जनपद—देहरादून के विकास खण्ड रायपुर में राजीव गांधी अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हेतु चार लेन पहुँच मार्ग 0.800 कि०मी० के नव निर्माण हेतु अपेक्षित 1.92 है० वन भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन की स्वीकृति विषयक ।

क्रमांक 14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
क्रमांक 15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझाव से सहमत हैं ।	सहमत हैं ।
क्रमांक 16	प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।	संस्तुति की जाती है।

दिनांक - 21 जुलाई, 2014
स्थान - देहरादून ।

हस्ताक्षर

नाम - (आर०के०मिश्र)

वन संरक्षक

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

उत्तराखण्ड, देहरादून